



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 97 राँची, शुक्रवार,

17 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

1 फरवरी, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-19/2022 का.- 648--श्री हरिशंकर बारिक, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-प० सिंहभूम), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया, सरायकेला खरसाँवा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1839, दिनांक 17.05.2022 श्री बारिक के विरुद्ध उपायुक्त, सरायकेला खरसाँवा द्वारा गठित आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप पत्र विभागीय परिपत्र संख्या-7777, दिनांक-26.08.2015 में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण संशोधित आरोप पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त, सरायकेला खरसाँवा के पत्रांक-767, दिनांक 17.10.2022 द्वारा संशोधित आरोप पत्र के संबंध में निम्नांकित मंतव्य उपलब्ध कराया गया है- “कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-7777, दिनांक-26.08.2015 में निहित निदेशों के अनुरूप श्री हरिशंकर बारिक, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया, सरायकेला खरसाँवा के विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनता है। जिसके कारण श्री बारिक के विरुद्ध पुनः आरोप पत्र (प्रपत्र-‘क’)

प्रेषित करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। श्री बारिक को विभागीय दिशा-निर्देश का अनुपालन करने के क्रम में सचेत रहने के साथ आरोप मुक्त किया जा सकता है। तदनुसार विषयांकित मामले को विभागीय स्तर से संचिकास्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।”

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपायुक्त, सरायकेला खरसाँवा द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य के समीक्षोपरांत उनके मंतव्य/अनुशंसा से सहमत होने का निर्णय लिया गया है।

अतः, प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री हरिशंकर बारिक, झां०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-प० सिंहभूम), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया, सरायकेला खरसाँवा के विरुद्ध प्राप्त आरोप प्रपत्र से संबंधित मामले को संचिकास्त किया जाता है।

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के अवर सचिव।
